क्रम संख्या	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

(1)उदय राम (2)बिरेन्द्र कुमार पासवान दोनों के पिता-स्व0 लोचन राम उर्फ लोचन्द दुसाध (3)आरती देवी पति-स्व0 अरुण राम, ग्राम-बाबूगाँव कोर्रा, पोस्ट-कोर्रा, थाना-कोर्रा, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-सदर, ग्राम-कोर्रा, थाना नं0-156, खाता संख्या-49, प्लॉट संख्या-33, रकवा-04 डी0 भूमि दीपू रविदास, पिता-स्व0 राम कुमार राम, ग्राम-कुम्हारटोली पारनाला हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 62/2021 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता दीपू रविदास एवं विक्रेता उदय राम वगै0 अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। बिक्री की अनुमति के पश्चात आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आयेंगे। आवेदक को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकवा लगभग 0.40 एकड़ भूमि बचेगी। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है एवं बढ़न दुसाध वो गुड़का दुसाध के नाम दर्ज है। भूमि आवेदकगण को खतियान से हासिल है। पंजी-II के पृष्ट सं0 26/I, पर लोचन्द दुसाध के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता उदय राम का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2017/1254032 दिनांक-18.09.2017 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCC/2017/1170119 दिनांक-25.08.2017 और क्रेता दीपू रविदास का अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या-

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	JHLRCO/2021/232055 दिनांक–23.07.2021 एवं अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण–पत्र संख्या JHCSC/2021/56615 दिनांक–23.07.2021 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर, ग्राम–कोर्रा, थाना नं0–156, खाता संख्या–49, प्लॉट संख्या–33, रकवा–04 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.01.12 11:43:08 +05:30
Location: 192.168.100.2